


श्रीमती गोपाली कान कीर

३१९ ५७/१७

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
७/५/२२		<p>पत्रावली पेज दुबई वादी की ओर से कौर उपस्थित नहीं। तत्पश्चात् अफलातन वादी व उनके अधिकारियों को बार-बार आवाज लगवाई गई - वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अफलातन-दयारी अफलातन पुरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार घोरत फज जे से सम है वादात्मकीय दायित्व दफ्तर है।</p> <p>  उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) </p>

